

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-195-औस/2014-11(4)एफ०/86 (टी०सी०-2010)

दिनांक 25 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या-2528-औ०स०/2012-11(4)एफ/86(टी०सी०-2010) दिनांक 22.08.2012 में निहित व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन करते हुए उ०प्र० एवं उ०प्र० के बाहर गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में अन्तःरोगी के रूप में करायी गयी चिकित्सा/उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु तत्कालिक प्रभाव से एतद्द्वारा निम्नवत् व्यवस्था की जाती है:-

- 1- कारपोरेशन के कार्यरत/सेवानिवृत्त, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनधारियों द्वारा उ०प्र० राज्य से बाहर अथवा उ०प्र० राज्य में गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय जिसमें नर्सिंग होम एवं क्लीनिक सम्मिलित नहीं होंगे, में भर्ती होकर कराये गये उपचार/चिकित्सा पर हुए चिकित्सा व्ययों की कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस० दरों पर शत-प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी, अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।
- 2- कारपोरेशन की शर्तों को उल्लंघन करने, चिकित्सा दरों से अधिक धनराशि चार्ज करने अथवा चिकित्सा सेवायें संतोषप्रद न पाये जाने के कारण जिन चिकित्सालयों की मान्यता कारपोरेशन द्वारा समाप्त की गयी है ऐसे चिकित्सालयों में चिकित्सा पर उपचार कराने पर किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं की जायेगी।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरण उक्त व्यवस्था के अनुरूप निस्तारित किये जायें तथा पूर्व में निस्तारित किये जा चुके प्रकरण पुनरुद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-195- औस/2014 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 8- समस्त उप महाप्रबन्धक (औ०स०)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- ✓ 11- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरांकित आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु
- 12- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 13- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड को दिनांक 27.12.2013 की बैठक मद संख्या-103(13)/13 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 14- कट फाइल।

NCA Mathur
(नवनीत माथुर) 25.1.14
कार्मिक अधिकारी